न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट, गोण्डा ।

दा0 प्रकीर्ण वाद सं0–184/2026

CNR No. UPGD01002311-2026

कु0 पूनम **बनाम** फरहान आदि

दिनांक–13.04.2026

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 पर सुना गया।

आवेदिका कु0 पूनम द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी एक अनुसूचित जाति कोरी हैं तथा विपक्षीगण के सामने प्रार्थिनी का घर बना हुआ हैं प्रार्थिनी के माता पिता काफी गरीब व लाचार व्यक्ति हैं जिससे वह आये दिन दैनिक मजदूरी करने बाहर चले जाते तब प्रार्थिनी .घर पर अकेली रहती हैं। दिनांक–06.02.2026 को शाम करीब 5 बजे की घटना हैं विपक्षी संख्या–1 फहरान पुत्र करीम प्रार्थिनी के घर में बदनियती से घुस आया और जोर जबरदस्ती करने लगा जिससे प्रार्थिनी हताहत होकर जोर जोर से चिल्लाने लगी तब विपक्षी चालाकी से भाग गया करीब एक घन्टे के बाद जब प्रार्थिनी के माता पिता अपने घर आये तब प्रार्थिनी आप बीती अपने मां प्रार्थिनी की मां विपक्षी संख्या–1 घर शिकायत लेकर बाप से बताया जब गयी तब विपक्षगण अक्रोशित होकर प्रार्थिनी की मां को कोरिन मादरचोद जैसी अमर्यादितशब्द का प्रयोग करते हुए भद्दी भद्दी गालियां दिया तथा प्रार्थिनी को भी गाली–गुप्ता देकर लात मुका थप्पड़ से मारा पीटा, जिससे प्रार्थिनी के शरीर पर काफी चोट आयी तथा दिलशाद प्रार्थिनी के दहिने पैर में पहने चांदी का पायल छीन ले गया प्रार्थिनी को घटना उपरोक्त से सख्त हकतलफी हैं प्रार्थिनी ने घटना के दिन ही स्थानीय थाना पर विपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन यह कहकर वापस कर दिया गया कि कल सुबह आओ तब डाक्टरी करा कर रिपोर्ट लिखी जायेगी लेकिन विपक्षीगणों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई तब प्रार्थिनी ने अपनी प्राइवेट डाक्टरी चिकित्सालय गोण्डा में कराया जिससे प्रार्थिनी के शरीर में चोट के कई निशान हैं फिर पुलिस अधीक्षक महोदय गोण्डा को व्यक्तिगत व जारिये डॉक विपक्षीगण के विरुद्ध शिकायती प्रार्थना पत्र दिया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, विपक्षीगण आये दिन प्रार्थिनी व उसके परिवार वालों को जान माल की धमकी देते रहते हैं। प्रार्थिनी को घटना उपरोक्त से सख्त तकलीफ हैं प्रार्थिनी न्याय की आशा लेकर न्यायालय के शरण में आयी है और प्रार्थना पत्र समक्ष प्रस्तुत कर रही है। ऐसे में विपक्षीगण के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराकर मामले की विवेचना कराए जाने की प्रार्थना की गयी है।

प्रस्तुत प्रकरण के आलोक में सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने से प्राप्त आख्या दिनांकित 03.04.2026 के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में कोई अभियोग थाने पर पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थना पत्र पर आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 के माध्यम से आवेदिका द्वारा कथन किया है कि दिनांक–06.02.2026 को शाम करीब 5 बजे की घटना हैं विपक्षी संख्या–1 फहरान आवेदिका के घर में बदनियती से घुस आया और जोर जबरदस्ती करने लगा तब आवेदिका द्वारा जोर से चिल्लाने लगी तब विपक्षी चालाकी से भाग गया, जिसकी शिकायत आवेदिका व उसकी मां करने गयी तो विपक्षीगण ने कोरिन मादरचोद जैसी अमर्यादितशब्द का प्रयोग करते हुए भद्दी भद्दी गालियां देकर लात मुका थप्पड़ से मारा पीटा, जिससे आवेदिका के शरीर पर काफी चोट आयी है, जिसके सम्बन्ध में आवेदिका द्वारा मेडिकल रिपोर्ट की छायाप्रति दाखिल किया है। इस प्रकार आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों से प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का कारित किया जाना दर्शित होता है। अतः प्रकरण की सम्पूर्ण सत्यता सामने आने के लिए प्रार्थना पत्र के आलोक में विवेचना कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदिका कु0 पूनम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 स्वीकार किया जाता है। थानाध्यक्ष इटियाथोक, जिला–गोण्डा को आदेशित किया जाता है कि वे उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विवेचना कराया जाना सुनिश्चित करें।

(सूर्य प्रकाश सिंह)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)
गोण्डा।

दिनांक–13.04.2026